न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

मुकदमा नं0 दावा– 76/2016 तारीख रजू– 20.07.2016

पीठासीन अधिकारीः– जूही भार्गव(आर0ए0एस0)

उनवान

रामखिलाडी पुत्र किशोरीलाल जाति मीना निवासी बोडी का बांस मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

–वादी

बनाम

1.कालूराम पुत्र किशोरीलाल

2.बाबूलाल पुत्र किशोरीलाल

3.बद्रीलाल पुत्र किशोरीलाल

समस्त जाति मीना निवासी बोडी का बांस मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

4.तहसीलदार (उप पंजीयक) टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा बावत तकास्मा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट–वादी

उपस्थिति – श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट– प्रतिवादी नं0 3

निर्णय **दिनांक :– 21.01.2019**

वादी ने एक वादपत्र बावत तकास्मा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया है। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08.05.2017 को प्राथमिक डिकि किया जाकर आराजी खसरा नं0 67/481 रकवा 0.09 एआर, 68 रकवा 0.01 एआर गैरमुमकिन बोरिंग, 69 रकवा 0.35 एआर, 70 रकवा 0.50 एआर, 71 रकवा 0.09 एआर, 74 रकवा 0.02 एआर, 91 रकवा 0.26 एआर, 92 रकवा 0.01 एआर गैरमुमकिन कुआ, 93 रकवा 0.38 एआर, 94 रकवा 0.59 एआर, 94/483 रकवा 0.10 एआर, कुल किता 11, कुल रकवा 2.40 हेक्टयर स्थित ग्राम मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम मे वादी के 1/4 हिस्से का प्रतिवादी नं0 3 के 1/4 हिस्सें का प्रतिवादी नं0 1 के 1/4 हिस्से का प्रतिवादी नं0 2 के 1/4 हिस्से का मुताबिक कब्जा व राजस्व रिकार्ड मे जमाबंदी के अनुसार बटवारा कर तहसीलदार टोडाभीम को 250 रूपये फीस बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया गया है तथा बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा बटवारा कमिश्नर तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये गये कि वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 के मध्य उनके कब्जे व रिकार्ड के आधार पर बटवारा कर बटवारा स्कीम मय ट्रेस दो प्रतियो मे न्यायालय मे पेश करे। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त निर्णय की पालना मे बटवारा स्कीम पूर्व मे दिनांक 05.07.2017 को

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत की थी। उक्त बटवारा स्कीम पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनकर आपत्ति स्वीकार करते हुए तहसीलदार टोडाभीम को पुनः बटवारा स्कीम पक्षकारो की उपस्थिति मे तैयार कराकर प्रस्तुत करने के आदेश दिनांक 06.10.2017 को दिए गए तथा पुनः बटवारा स्कीम दिनांक 08.01.2018 को तहसील टोडाभीम से उनके पत्र कार्यालय तहसीलदार (भू अभिलेख टोडाभीम) दिनांक 19.01.2018 मय ट्रेस के प्राप्त हुई जो रिकार्ड पर दिनांक 24.01.2018 को शामिल की गई। इस बटवारा स्कीम पर प्रतिवादी बद्रीलाल द्वारा दिनांक 04.09.2018 को आपत्ति प्रस्तुत की थी तथा आपत्ति मे कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित भूमि के संबंध मे पूर्व मे बटवारा स्कीम दिनांक 03.07.2017 प्रस्तुत की थी तथा उक्त बटवारा स्कीम पर प्रतिवादी बद्रीलाल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी दिनांक 06.10.2017 को न्यायालय हाजा ने दरखास्त ऐतराज बटवारा स्कीम पर बहस सुनकर दरखास्त ऐतराज बटवारा स्कीम स्वीकार की गई है तथा तहसीलदार टोडाभीम को दोनो पक्षो की उपस्थिति दोनो पक्षो के हस्ताक्षर कराने तथा नक्शा ट्रेस पर भी दोनो पक्षकारो के हस्ताक्षर कराये जाने के आदेश प्रदान किये है। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 06.10.2017 की तहसीलदार टोडाभीम द्वारा पालना नही करके गलत व अवैध रूप से वादी से साज कर के व नियम विरूद्ध बटवारा स्कीम तैयार कर भिजवायी है। इस भूमि मे प्रतिवादी बद्रीलाल हिस्सा 1/4 का खातेदार है। वादी व प्रतिवादीगण चारो खास भाई है तथा सभी का हिस्सा बराबर 1/4 है। चारो भाई के कुछ हिस्से मे आबादी हो रही है तथा इस भूमि के पश्चिम की तरफ ग्रेवल सडक है, आम रास्ता है तथा इस सडके के सहारे सहारे चारो भाईयो का बराबर का हिस्सा है यानी प्रतिवादी बद्रीलाल का इस सडक की तरफ हिस्सा 1/4 पर कब्जा है। इस तथ्य को प्रतिवादी बद्रीलाल ने अपने जबावदावा व काउन्टर क्लेम दिनांक 30.01.2017 मे वर्णन किया है, काउन्टर क्लेम भी स्वीकार किया गया है। ग्रेवल सडक की तरफ जमीन की कीमत काफी है, प्रतिवादी बद्रीलाल को आम रास्ते की ग्रेवल सडक की तरफ बटवारा स्कीम मे भूमि नही देकर पीछे की तरफ दे दी है तथा कीमती जमीन अकेले वादी को दे दी है। चूकि चारो भाई एक ही बॉप की संतान है तथा सभी को बराबर का हिस्सा व अच्छे मे से अच्छा व बुरे मे से बुरा मिलना चाहिये। प्रतिवादी बद्रीलाल के खिलाफ अन्याय किया गया है। यह बटवारा स्कीम पटवारी हल्का व गिरदावर ने साज करके तैयार की है तथा तहसीलदार टोडाभीम ने भी इस बटवारा स्कीम पर काउन्टर हस्ताक्षर किये है। न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्रि व आदेश दिनांक 06.10.2017 मे स्पष्ट रूप से लिखा है कि तहसीलदार टोडाभीम मौके पर जाकर बटवारा स्कीम तैयार करे लेकिन यह बटवारा स्कीम पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा तैयार की गई है तथा हस्ताक्षरित की गई है। बाबूलाल मीना तहसीलदार टोडाभीम के मात्र काउन्टर हस्ताक्षर (सी0एस0) है इससे साबित हैं कि तहसीलदार टोडाभीम ने मौके पर जाकर कोई बटवारा स्कीम तैयार नही की है। कानूनन तहसीलदार टोडाभीम को जो न्यायालय हाजा द्वारा आदेश प्रदान किये गये है उनको सवलेट पटवारी हल्का व गिरदावर को नही किये जा सकते है। इस प्रकार न्यायालय हाजा के आदेश का

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

स्पष्ट रूप से उल्लघंन करते हुये गलत व गैरकानूनी रूप से यह बटवारा स्कीम भिजवायी गई है। इस बटवारा स्कीम व ट्रेस पर न्यायालय हाजा के आदेशानुसार प्रतिवादी बद्रीलाल के हस्ताक्षर नही है नाही किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर है। प्रतिवादी बद्रीलाल को इस बटवारा स्कीम के संबंध मे कोई जानकारी किसी भी प्रकार की नही है। नाही कार्यालय पटवार मण्डल साकरवाडा द्वारा नोटिस दिया गया है नाही प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी बद्रीलाल व उसके परिवार के सदस्य ग्राम मेहन्दीपुर मे ही अपने परिवार के सहित निवास करते है। पटवार मण्डल साकरवाडा द्वारा जो नोटिस देना बताया है वह नोटिस चसपा किया बताया गया है तथा जिन दो गवाह मोहनलाल व पृथ्वीलाल के हस्ताक्षर बताये गये है उनकी वल्दियत, जाति, निवास, उम्र आदि दर्ज नही है। नोटिस की तामील अवैध व कानून के प्रावधान के तहत नही है तथा उक्त नोटिस की जानकारी प्रतिवादी बद्रीलाल को नही थी। इस प्रकार यह बटवारा स्कीम प्रतिवादी बद्रीलाल की गैर मौजूदगी मे तैयार की गई है। इस बटवारा स्कीम मे प्रतिवादी बद्रीलाल को पीछे की तरफ जमीन दी गई है तथा वादी रामखिलाडी को आम रास्ता ग्रेविल सडक की तरफ जमीन दी गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। यह बटवारा स्कीम प्रतिवादी बद्रीलाल को मान्य नही है तथा गलत व अवैध है। बटवारा स्कीम के संबंध मे आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन है कि बटवारा स्कीम दिनांक 08.01.2018 निरस्त की जावे तथा पुनः विवादित भूमि के संबंध मे पुनः बटवारा अच्छी मे से अच्छी, बुरी मे से बुरी तथा आदेश दिनांक 06.10.22017 की पालना करते हुये पुनः बटवारा स्कीम तहसीलदार टोडाभीम को तैयार करने का आदेंश प्रदान किया जावे। इस प्रार्थनापत्र का जवाव वादी रामखिलाडी द्वारा पेश हुआ और जवाव मे कथन किया कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा अपने निर्देशन मे अपने अधीन पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का से विवादित आराजीयात के बावत दोनो पक्षकारो को दिनांक 08.01.2018 को मौके पर उपस्थित रहने बावत एक नोटिस तारीखी 04.01.2018 दिया गया जिस पर दिनांक 08.01.2018 को तहसीलदार टोडाभीम के निर्देशन मे पटवारी व गिरदावर हल्का द्वारा दोनो पक्षो की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर न्यायालय हाजा मे दिनांक 24.01.2018 मे प्रस्तुत की गई थी तथा कथन किया कि आराजी की हाल शीट व रिकार्ड मे कही भी रास्ता दर्ज नही है बल्कि विवादित आराजी के पश्चिम दिशा मे खसरा नं0 95, 96, 97, 100 जो रामसिंह पुत्र रामकिशन एवं प्रभु पुत्र धनपाल की खातेदारी की भूमि स्थित है तथा प्रार्थी प्रतिवादी का यह कहना गलत है कि बटवारा स्कीम पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा सजाकर बनायी गई हो। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना मे अपने अधीन पटवारी हल्का व गिरदावर को निर्देशित कर मौके पर ही दोनो पक्षकारो को विधिवत नोटिस देकर पक्षकारो की उपस्थिति मे बटवारा स्कीम तैयार की गई तथा कथन किया कि आपत्ति बटवारा स्कीम निरस्त की जावें।

दोनो पक्षो के वकील की बहस सुनी। पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा प्रतिवादी बद्रीलाल द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम पर

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

दो बार आपत्ति प्रस्तुत हुई थी। तहसीलदार द्वारा मुताबिक प्राथमिक डिकी बटवारा स्कीम सही रूप से तैयार कर भिजवाई गई है। जो मुताबिक कब्जा एवं रिकार्ड सही रूप से तैयार होने से आपत्ति निरस्त की जाती है तथा जो बटवारा स्कीम आयी है उसके अनुसार वादी का दावा फाईनल डिकी किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी बावत डिविजन ऑफ होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा फाईनल डिकि किया जाकर मुताबिक बटवारा स्कीम मय ट्रेस वादी रामखिलाडी पुत्र किशोरीलाल जाति मीना निवासी साकिन देह खातेदार खसरा नं० 69/1 रकवा 0.1733 हेक्टयर, 70/1 रकवा 0.2491 हेक्टयर, 71/1 रकवा 0.0576 हेक्टयर, 67/481 रकवा 0.0900 हेक्टयर कुल किता 04 कुल रकवा 0.5700 हेक्टयर, तथा प्रतिवादी नं0 3 बद्रीलाल पुत्र किशोरीलाल जाति मीना साकिन देह खातेदार खसरा नं0 93/1 रकवा 0.2800 हेक्टयर, 94/1 रकवा 0.3000 हेक्टयर, कुल किता 02 कुल रकवा 0.5800 हेक्टयर, तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 कालूराम, बाबूलाल पुत्र किशोरीलाल जाति मीना निवासी साकिन देह खातेदार खसरा नं0 69 रकवा 0.1700 हेक्टयर, 70 रकवा 0.2400 हेक्टयर, 71 रकवा 0.0300 हेक्टयर, 93 रकवा 0.1000 हेक्टयर, 94 रकवा 0.2900 हेक्टयर, 91 रकवा 0.2600 हेक्टयर, 94/483 रकवा 0. 1000 हेक्टयर, कुल किता 07 कुल रकवा 1.1900 हेक्टयर, तथा वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 3 रामखिलाडी, कालूराम, बाबूलाल, बद्रीलाल पुत्र किशोरीलाल जाति मीना साकिन देह खातेदार खसरा नं0 68 रकवा 0.0100 हेक्टयर, गै0मु बौरगि, 74 रकवा 0.0200 हेक्टयर गै0मु0 बोरिंग, 92 रकवा 0.0100 हेक्टयर गै0मु0 कुआ कुल किता 03 कुल रकवा 0.0400 हेक्टयर, तथा वादी व प्रतिवादी न0 3 रामखिलाडी, बद्रीलाल पुत्र किशोरीलाल जाति मीना साकिन देह खातेदार खसरा नं0 69/2 रकवा 0.0067 हेक्टयर, 70/2 रकवा 0.0109, 71/2 रकवा 0.0024 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 0.0200 हेक्टयर के खातेंदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प्रतिवादीगण को पांबद किया जाता है कि वे वादीगण की उक्त भूमि के संबंध मे वादीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत एवं मदाखलत किसी भी प्रकार से नही नही करे। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। तहसीलदार टोडाभीम को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री जूही भार्गव)
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

Scanned by CamScanner